रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228751
CG-DL-E-04082021-228751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2897] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943
No. 2897] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SHRAVANA 13, 1943

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2021

का.आ. 3123(अ).—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से का. आ. 76 (अ), दिनांक 04 जनवरी, 2018 के जरिये भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3 के उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचित दिशा-निर्देशों में एतद द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः

उक्त दिशा-निर्देशों में, अनुबंध II में, - 'VII. रक्त विकार के कारण होने वाली दिव्यांगता', शीर्षक के तहत पैराग्राफ 26.2 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, **नामतः**:-

"26.2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र का प्रकार - इसके लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिशील रहेगी और प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर इसकी समीक्षा की जानी है क्योंकि इन बीमारियों का स्वरूप बराबर बढ़ने वाला है। तथापि, रोगियों की तीव्र दिव्यांगता की गणना 80 प्रतिशत की गणना के स्तर से ऊपर है, जीवितता का सबूत प्रस्तुत करने पर स्थायी प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 33-01/2021-डीडी-III]

डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव

नोट : भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii), संख्या का. आ. 76 (अ), दिनांक 04 जनवरी, 2018 में मूल दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए थे, और का. आ. 4501 (अ) दिनांक 09.12.2020 के माध्यम से अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2021

S.O. 3123(E) .—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in guidelines notified for the purpose of assessing the extent of specified disabilities in a person published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Sub- section (ii) of Section 3 vide number S.O. 76 (E), dated the 04th January, 2018, namely :

In the said guidelines, in Annexure II, - under the heading 'VII. Disability caused due to blood disorder', for paragraph 26.2 the following paragraph shall be substituted, namely:-

"26.2 Type of disability certificate - The process of evaluation shall be dynamic and to be reviewed periodically at an interval of three years, as these diseases are progressive in nature, however, in patients with severe disability with score above 80%, permanent certificate shall be issued subject to proof of survival."

[F. No. 33-01/2021-DD-III]

Dr. PRABODH SETH, Jt. Secy.

Note : The Principal guidelines were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 04th January, 2018 and last amended vide S.O. 4501 (E) dated 09.12.2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.04 23:01:29 +05'30'